न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 101/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/166

प्रार्थीगण

1. तगसिंह पुत्र मुल्तानसिंह निवासी ग्राम भाटेलाई पुरोहितान चक 5 तहसील बालेसर जिला जोधपुर
2. चैनसिंह पुत्र मुल्तानसिंह निवासी भाटेलाई पुरोहितान चक 5 तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री इन्द्राराम प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या राजकीय पैरोकार।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर
सत्यमेव जयते

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 02/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण के दादा रावतसिंह पुत्र किरतसिंह के नाम से खातेदारी की वक्त सैटलमेन्ट से ग्राम भाटेलाई पुरोहितान चक 5 मे स्थित खसरा नम्बर 04 रकबा 15.11 बीघा किस्म बारानी अवल की भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 की भूमि मे नाम दर्ज हुआ जिसमे 1/4 हिस्सा दर्ज था जबकि सम्तव् 2030 से 2033 की जमाबन्दी बनाते समय रावतसिंह का देहान्त होने पर प्रार्थीगण के पिता मुलतान सिंह पुत्र रावतसिंह दर्ज हुआ जिस पर कब्जा आज दिन प्रार्थीगण का चला आ रहा है। जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 की जमाबन्दी बनाते समय भी प्रार्थीगण के पिता मुल्तान[illegible]वतसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ तथा 2038 मे उक्त जमाबन्दी दर्ज की तब आपसी सहखा[illegible] के नाम [illegible] हिस्सा दर्ज हुआ तब खसरा नम्बर 4 मे 08.01 बीघा भूमि [illegible] प्रार्थीगण के पिता का [illegible] हिस्सा रहा तथा मौके पर भी खसरा नम्बर 4 रकबा 8.01 बीघा [illegible] मे प्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा रहा तथा प्रार्थीगण के पिता के हिस्से मे 04.10 बीघा भूमि रही। इसी भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:27:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

कब्जा व काश्त रहा परन्तु सम्वत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो की भूल से राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज होने से रह गया तथा बाद मे प्रार्थीगण के पिता मुलतान सिंह पुत्र रावतसिंह का देहान्त हो गया। प्रार्थीगण के नाम भी सम्वत् 2043 से 2046 की जमाबन्दी बनाते समय मे भी प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही हुआ। सम्वत् 2047 से सम्वत् 2078 की समस्त चौसालो मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही किया गया। बाद मे प्रार्थीगण को जानकारी हुई तब पटवारी हल्का भाटेलाई पुरोहितान से सम्पर्क किया तब दिनांक 06.09.2021 को पटवार हल्का भाटेलाई पुरोहितान ने रिपोर्ट कर वास्तविक हिस्सा व नाम दर्ज कर जरिये नोट लगाकर प्रार्थीगण के पिता मुलतानसिंह पुत्र रावतसिंह 1/2 हिस्सा बनने का स्पष्ट बताया व सम्वत् 20378 से 2041 की जमाबन्दी बनाते समय नाम दर्ज नही किया गया परन्तु प्रार्थीगण का मौके पर आज दिन तक कब्जा एव हक हकूक है। प्रार्थीगणो द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से मे नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि ग्राम भाटेलाई पुरोहितान चक 5 के खसरा नम्बर 4 रकबा 15.11 बीघा मे रावतसिंह पुत्र किरतसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 मे रावतसिंह के पुत्र मुल्तानसिंह पुत्र रावतसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 मे भी मुल्तानसिंह का हिस्सा 1/4 यथावत दर्ज रहा। उक्त खसरे मे बंटवाडा होने से 7.10 बीघा भूमि 4/1 व 4/2 के द्वारा कम हो कर खसरा नम्बर 4 का रकबा 8.01 बीघा शेष रहा। नई जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 बनाते समय लिपिकीय भुलवंश मुल्तानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम छुट गया। जिसे पुनः दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्वि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थीगणो द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 04 मे स्वंय को 1/2 हिस्से मे नाम जोडने हेतु अनुरोध किया गया है प्रार्थीगणो द्वारा उक्त खसरो के खातेदारो को उक्त पत्रावली मे पक्षकार नही बनाया गया है अगर प्रार्थीगणो का उक्त खसरे मे बतौर खातेदार नाम दर्ज किया जाता है तो उक्त खसरो के खातेदारो के हिस्से मे परिवर्तन होगा उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध मे अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे किसी प्रकार तथ्य अंकित नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि सम्वत् 2038 मे आपसी सहमती से बंटवारे होने पर प्रार्थीगण के पिता का नाम खसरा नम्बर 4 मे बतौर 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया इसके समर्थन मे प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी अंकित किया गया है कि सम्वत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियो की भुल से राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थीगणो द्वारा लगभग 40 वर्षो के लम्बे अतंराल के बाद नाम दर्ज करने

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:27:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगणो द्वारा म्याद के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है। न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात् इस तर्क पर पहुॅचे है कि उक्त मामला वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगणो को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का है, जो सम्बन्धितं पक्षकारो को सुनने के बाद जरिये साक्ष्य द्वारा सक्षम धाराओ मे ही तय किये जा सकेगें। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा मे किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है।

अतः इस आधार पर प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। फैसला आज दिनांक 2/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:27:51 IST
Reason: SelfAttested